



## भारत सरकार Government of India खान मंत्रालय Ministry of Mines

Ministry of Mines भारतीय खान ब्यूरो

Indian Bureau of Mines ·

Mine Code: 38RAJ20007

माखुपूरा औद्घोगिक क्षेत्र, Makhupura, Industrial Area अजमेर.–305 002 (राजस्थान) Ajmer- 305 002 (Rajasthan)

दिनांक: 23.09.2021

संख्या : RAJ/NGR-20/LST-6

प्रेषित : खुर्म एजेंट, धनप्पा चूना पत्थर खान,

मेसर्स जे के वाइट सीमेंट वर्क्स(जेके सीमेंट लिमिटेड की इकाई),

पोस्ट ऑफिस-गोटन,जिला-नागौर (राजस्थान), 342 902

Email: gotan@jkcement.com, bajrang.lal@jkcement.com

विषय : Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your Dhanappa

Limestone Mine (Lease area 400 Hect.) situated in Nagaur District of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 06.09.2021 by the undersigned in presence of Sh. Bajrang Lal, Mine

Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Review of Mining Plan (Approved on 27.02.2019): -  1) Large quantity of limestone boulders were lying all around in the Pits during the inspection.
Rule 13(2)	The benches in overburden were not kept sufficiently in advance so that their workings do not interfere with the working of ore or minerals.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :

(क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुध्द अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है। 03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

> विरष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो भवदीय

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ई मेल द्वारा)
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 3 सहायक खिन अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, गोटन, जिला-नागौर।
- 4 रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो